

जयपुर जिले में एक ही शिविर में पिटीशन नंबर 178/2021
 इल्लुसट्रेशन नंबर 10/2021 के तहत एक ही शिविर में पिटीशन नंबर 178/2021
 की शिविर नंबर 10/2021 का निर्णय भी दिनांक 21/09/2021
 दिनांक 21/09/2021 को किया गया है तथा अदालत
 को किया जाकर उपरोक्त अधिकारी अधिकार के अंतर्गत में
 वाद के माध्यम से अधिकार के अंतर्गत में अधिकारियों
 अधिकारिता प्राप्त करने के अंतर्गत में अधिकारियों पर
 हो चुका है। इस वाद से पूर्व अदालत में अधिकारियों
 में किसे जमाने अधिकारियों के अंतर्गत में अधिकारियों
 एवं सच-आचार्यीय संस्था 10 जयपुर मदनगढ़ प्रखण्ड
 सांगानेर जयपुर के अधिकारियों में माफकी दयाल महराज
 एवं भक्त राव प्रचारक तत्काल बनाम पुरुषोत्तम वीर व अ
 जिसमें इस वाद में जो पक्षकार प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित
 किसे जमाने हैं वे सच-आचार्यीय संस्था 10 जयपुर मदनगढ़ प्रखण्ड
 हैं जिसमें धारा 92 सीपीसी व धारा 96 सीपीसी का को
 अधिकार प्रयोग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये के कारण यह
 शोभ्य है। अतः वादी का वादपत्र का मुकदमा पोषनीय नहीं
 अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना 07 RII CPC स्वीकार
 किया जाता है तथा वादी का वाद पोषनीय नहीं होने
 कारण खर्च किया जाता है। फर्च डिग्री प्रथम से प्रेश करें।

निर्णय आज दि 08/09/24 को (29) के अंशक
 में प्रकाशित।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

IR
 11/09/24
 11/09/24

अंतिम डिग्री मुकदमा इबादाई
 (ओ 20 रुल 6-7 जांबा दीवानी)

पीठारिनी अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
 वाद पत्र : 178/2021
 डिग्री जारी दिनांक : 08.09.2024

मंदिर दयालजी महाराज व मंदिर सीतारामजी

बनाम

पुरुषोत्तम वगैरे

वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरुरती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी,
 सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुदई रुबरु वकील
 प्रतिवादीगण मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी
 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी क
 वाद पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।
 खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.09.2024 के
 जारी की गई।
 मुहर

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिग्री के
 दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)